ई. मेल :- dforudraprayag@gmail.com
फोन / फैक्स नं0 - 01364 – 233505::
पता - माई की मढ़ी निकट जवाड़ी बाईपास रूद्रप्रयाग

कार्यालय उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

पत्रांक– 4283 / 12-1(2) दिनांक 30/06/2023::

सेवा में,

वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड,
पौड़ी।

विषय :– जनपद–रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि के अन्तर्गत चोपड़ा उड़ामाण्डा (पी0एम0जी0एस0वाई0) मोटर मार्ग से बनवालधार (जरम्वाड़) होते हुये बैंजी काण्डई (अनु0 बस्ती) तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.350 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव के संबंध में। **PROPOSAL NO.- FP/UK/ROAD/155241/2022**

सन्दर्भ :– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून की पत्र सं0–8बी / यू0सी0पी0 / 06 / 56 / 2023 / एफ0सी0 / 340 दिनांक 13.06.2023।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित विषयक वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में भारत सरकार से लगाई गई आपत्ति का निराकरण अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रूद्रप्रयाग ने उनके पत्रांक–2027 / 16सी दिनांक 21.06.2023 के द्वारा निम्न प्रकार प्रस्तुत किया है, तथा ऑनलाईन पार्ट–। के Additional information detail के क्र0सं0–35 में ऑनलाईन अपलोड किया गया है, जो निम्न प्रकार प्रेषित है–

क्र.सं.	आपत्ति	आपत्ति का निराकरण
1	प्रस्तावित मार्ग से लाभान्वित ग्राम पूर्व से ही एक मौजूदा मार्ग (existing road) से जुडे हुए हैं। अतः प्रस्ताव औचित्यपूर्ण प्रतीत नहीं होता है। राज्य सरकार से अनुरोध है कि प्रस्तावित मार्ग (जो कि लाभान्वित ग्राम को connectivity प्रदान करने के लिये दूसरा मार्ग होगा) की आवश्यकता का औचित्य प्रस्तुत करने का कष्ट करें।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि–बैंजी काण्डई ग्राम सभा का एक छोर कोटखाल जगतोली मोटर मार्ग से संयोजित है, परन्तु उक्त मोटर मार्ग के किमी0 2 में अत्यधिक भूस्खलन होने से यह मोटर मार्ग ज्यादातर बाधित रहता है। उक्त भूस्खलन क्षेत्र की लम्बाई अधिक होने के कारण इसका उपचार किया जाना सम्भव नहीं है। अतः इस मोटर मार्ग के निर्माण हो जाने से यह कोटखाल जगतोली मोटर मार्ग से चोपडा उडामाण्डा मोटर मार्ग पर एक लिंक मार्ग का कार्य करेगा, जिससे मोटर मार्ग के किमी0 2 में बाधित होने के उपरान्त भी आपातकाल की परिस्थिति में उक्त मोटर मार्ग से संयोजित होने वाली ग्राम सभाओं को लाभ प्राप्त होगा। साथ ही बैंजी काण्डई गांव की अनुसूचित बस्ती को भी संयोजकता प्रदान करेगा, जो कि अभी तक मोटर मार्ग से बंचित है। यह भी अवगत कराना है कि इस क्षेत्र की जनता का मुख्य बाजार गौचर (चमोली) है, जिसकी दूरी लगभग 42 किमी0 है। इस लिंक मोटर मार्ग के निर्माण हो जाने के उपरान्त यह दूरी मात्र 12 किमी0 ही रह जायेगी। जिस हेतु जनता द्वारा बार–बार इस मार्ग के निर्माण की मांग की जा रही है। अतः जनहित में इस मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वनभूमि की स्वीकृति नितान्त आवश्यक है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
(हस्ताक्षर)
उप वन संरक्षक,
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

संख्या 4283 / दिनांकित।

प्रतिलिपि :– अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, रूद्रप्रयाग को उनके उक्त पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(हस्ताक्षर)
उप वन संरक्षक,
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

o/c

AKHAND

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, रूद्रप्रयाग

उत्तराखण्ड शासन

Website-http://pwd.uk.gov.in Fax: 01364-233204, E-mail ID: eepwd_rpg@rediffmail.com

पत्र संख्या 2027/16C दिनांक 21/6/2023

सेवामें,

उप वन संरक्षक
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग
रूद्रप्रयाग।

विषय– जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि के अन्तर्गत चोपडा उडामाण्डा (पीएमजीएसवाई) मोटर मार्ग से वनवालधार (जरम्वाड) होते हुए बैंजी काण्डई (अनु0 बस्ती) तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.350 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन (Online proposal No. FP/UK/ROAD/155241/2022)।

सन्दर्भ– **भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्र संख्या 8बी/यूसीपी/06/56/2023/एफसी/340 दिनांक 13.06.2023**

महोदय,

उक्त वनभूमि पत्रावली में लगायी गयी आपत्ति का निराकरण निम्न प्रकार किया गया है–

क्र0सं0	आपत्ति	आपत्ति का निराकरण
1	प्रस्तावित मार्ग से लाभान्वित ग्राम पूर्व से ही एक मौजूदा मार्ग existing road से जुडे हुए है।	बैंजी काण्डई ग्राम सभा का एक छोर कोटखाल जगतोली मोटर मार्ग से संयोजित है, परन्तु उक्त मोटर मार्ग के किमी0 2 में अत्यधिक भूस्खलन होने से यह मोटर मार्ग ज्यादातर बाधित रहता है। उक्त भूस्खलन क्षेत्र की लम्बाई अधिक होने के कारण इसका उपचार किया जाना सम्भव नहीं है। अतः इस मोटर मार्ग के निर्माण हो जाने से यह कोटखाल जगतोली मोटर मार्ग से चोपडा उडामाण्डा मोटर मार्ग पर एक लिंक मार्ग का कार्य करेगा, जिससे मोटर मार्ग के किमी0 2 में बाछित होने के उपरान्त भी आपातकाल की परिस्थिति में उक्त मोटर मार्ग से संयोजित होने वाली ग्राम सभाओं को लाभ प्राप्त होगा साथ ही बैंजी काण्डई गांव की अनुसूचित बस्ती को भी संयोजकता प्रदान करेगा, जो कि अभी तक मोटर मार्ग से बंचित है। यह भी अवगत कराना है कि इस क्षेत्र की जनता मुख्य बाजार गौचर (चमोली) है, जिसकी दूरी लगभग 42 किमी0 है। इस लिंक मोटर मार्ग के निर्माण हो जाने के उपरान्त यह दूरी मात्र 12 किमी0 ही रह जायेगी। जिस हेतु जनता द्वारा बार–बार इस मार्ग के निंर्माण की मांग की जा रही है। अतः जनहित में इस मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वनभूमि की स्वीकृति नितान्त आवश्यक है।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग।

प्रतिलिपि–

1. सहायक अभियन्ता, प्रा0ख0 लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग।

प्राप्त 23/6/23
वनभूमि